न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(डॉ.सौम्या झा, आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 38 / 2022
प्रविष्टि दिनांक 27.05.2022

रामअवतार पुत्र गोपाल जाति जाट निवासी बरोनी तहसील व जिला टोंक राज0

—अपीलाण्ट

बनाम

1—राजाराम पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी बरोनी तहसील व जिला टोंक राज0
2—हरिशकंर पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी बरोनी तहसील व जिला टोंक राज0
3—केदार पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी बरोनी तहसील व जिला टोंक राज0
4—~~मीरा पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी बरोनी तहसील व जिला टोंक राज0~~
5—~~सम्पयारी पत्नि जगदीश जाति जाट निवासी बरोनी तहसील व जिला टोंक राज0~~
6— तहसीलदार टोंक

—रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 20.05.2016 तहसीलदार भू.अ. टोंक

उपस्थिति : (1) श्री जितेन्द्र जैन, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री राकेश गुर्जर, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता. 3

निर्णय दिनांक **21.02.2024**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोंक द्वारा दिनांक 20.05.2016 को खाता संख्या 455 कुल किता—24 रकबा 71 बीघा वाके ग्राम बरोनी का पक्षकारान के मध्य बंटवारा किया गया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत डिलिट किये जाने नाम रेस्पो. संख्या 4 व 5 स्वीकार किया गया। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव अभिभाषक रेस्पो. संख्या 1 ता. 3 की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेण्ट की संयुक्त खातेदारी की आराजी वाके ग्राम बरोनी में स्थित है, जिसका वर्णन जमाबन्दी सम्वत 2070—2073 के खाता संख्या 455 में किया गया है, जिसके खसरा नम्बर 471, 1104, 1113, 1287, 1474, 824, 282, 283, 182, 1314, 1316, 148 वगै0 थे।

जिला कलेक्टर
टोंक

खसरा नम्बर 148 वाके ग्राम बरोनी का कुल रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा है। अपीलाधीन विभाजन में अपीलान्ट के हिस्से में खसरा नम्बर 148/1 के रूप में 5 बीघा 7 बिस्वा का रकबा तथा रेस्पो. संख्या 1 ता 5 के हिस्से में खसरा नम्बर 148/2 के रूप में 6 बीघा 4 बिस्वा का रकबा आया है,जबकि अपीलान्ट व रेस्पो. संख्या 1 ता 5 उक्त खसरा नम्बर के आधे–आधे रकबे पर काबिज है और खसरा नम्बर 471 वाके ग्राम बरोनी का कुल रकबा 11 बीघा है। अपीलाधीन विभाजन में अपीलान्ट के हिस्से में खसरा नम्बर 471/1 के रूप में 5 बीघा 10 बिस्वा का रकबा तथा रेस्पो. संख्या 1 ता 5 के हिस्से में खसरा नम्बर 471/2 के रूप में 5 बीघा 10 बिस्वा का रकबा आया,जबकि अपीलान्ट व रेस्पो. संख्या 1 ता. 5 उक्त खसरा नम्बर पर आधे–आधे रकबे पर काबिज ना होकर उक्त खसरा नम्बर में अपीलान्ट 5 बीघा 14.5 बिस्वा पर तथा रेस्पो. संख्या 1 ता. 5 रकबा 5 बीघा 5.5 बिस्वा रकबे पर काबिज है। अतः उक्त विभाजन आदेश को आराजी खसरा नम्बर 148 व 471 की हद तक अस्वीकार कर अपील को रिमाण्ड किया जाना न्याय संगत है।

अभिभाषक रेस्पो. संख्या 1 ता. 3 ने जवाबी बहस मे अभिभाषक अपीलांट के कथन पर सहमति प्रदान की।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होंता है कि पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से बंटवारा करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने पर भू.अ.निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा तकास्मा रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस तैयार की गई है। तकास्मा रिपोर्ट व नक्शा–ट्रेस पर पक्षकारान के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर है। तकास्मा रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार टोंक द्वारा आदेश क्रमांक 52 दिनांक 20.05.2016 द्वारा आपसी सहमति से बंटवारा किया गया है।

अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि विभाजन आदेश को आराजी खसरा नम्बर 148 व 471 की हद तक अस्वीकार कर अपील को रिमाण्ड किया जावे। अभिभाषक अपीलांट के कथन पर अभिभाषक रेस्पो. संख्या 1 ता. 3 ने भी सहमति प्रदान की है। उपरोक्त विवेचन से तहसीलदार भू.अ. टोंक द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार टोंक का आदेश दिनांक 20.05.2016 को खसरा नम्बर 148 व 471 वाके ग्राम बरोनी तहसील टोंक कि हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार भू.अ. टोंक को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि पक्षकारों की विधिवत सुनवाई कर,दस्तावेजात की जांच कर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक